

**ई-निविदा आमंत्रण सूचना (2 लिफाफे वाली खुली निविदा)**

1. हुबली हवाई अड्डे पर नए घरेलू टर्मिनल भवन के निर्माण और विविध कार्यों के लिए, वर्ष 2026-27 के लिए हुबली हवाई अड्डे पर इंजीनियरिंग कार्यालय को जनशक्ति सेवाएं प्रदान करने हेतु उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-सिविल), हुबली हवाई अड्डा, हुबली-580030 (बोली प्रबंधक) द्वारा जीईएम पोर्टल के माध्यम से पात्र ठेकेदारों से मद-वार ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। अनुमानित लागत 2723552/- रुपये (जीएसटी सहित) (सत्ताईस लाख तेईस हजार पांच सौ बावन रुपये) है और कार्य पूरा करने की अवधि 12 (बारह) माह है।

निविदा प्रक्रिया GeM पोर्टल के URL पते <https://gem.gov.in> पर ऑनलाइन है। इच्छुक बोलीदाता GeM पोर्टल पर लॉग इन करके निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। निविदा दस्तावेज में कोई भी संशोधन या सुधार केवल GeM पोर्टल पर ही प्रकाशित किया जाएगा। चूंकि निविदा प्रक्रिया GeM पोर्टल पर ऑनलाइन है, इसलिए GeM पोर्टल पर ऑनलाइन बोली जमा करने से पहले GeM पोर्टल पर किसी भी संशोधन/सुधार की जांच करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है। साथ ही, बोलीदाताओं को GeM पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया से परिचित होने की सलाह दी जाती है, जिसके लिए GeM पोर्टल पर पंजीकरण करना, 'यूजर आईडी' और 'पासवर्ड' प्राप्त करना और GeM पोर्टल <http://gem.gov.in> पर लॉग इन करने के बाद होम पेज पर उपलब्ध 'सेवाओं के लिए बोली - सेवा प्रदाता पक्ष' का अध्ययन करना आवश्यक है।

बोलीदाता निर्धारित तिथि और समय के अनुसार केवल GeM खरीद पोर्टल <http://gem.gov.in> के माध्यम से ही अपनी बोलियां जमा करें।

GeM पोर्टल खरीद प्रणाली निर्धारित तिथि और समय के बाद बोलीदाताओं को अपनी निविदाएं जमा करने की अनुमति नहीं देगी। बोलीदाताओं को GeM बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट समय सीमा से पहले या शुद्धिपत्र जारी करके अधिसूचित विस्तारित समय सीमा से पहले निविदा जमा करनी होगी।

**ईएमडी:** - निर्धारित तिथि और समय (जीईएम के अनुसार) से पहले, 69,243/- रुपये (उनहत्तर हजार दो सौ तैंतालीस रुपये) की बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान दिए गए बैंक विवरण के अनुसार आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हुबली हवाई अड्डे के पक्ष में ऑनलाइन करना होगा। इसका प्रमाण एनआईटी खंड में उल्लिखित अनुसार जमा/अपलोड करना होगा। इस संबंध में कोई डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/एफडीआर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाता को छोड़कर, सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी राशि उनके संबंधित बैंक खातों में सीधे वापस कर दी जाएगी।

अनुबंध-VI में उल्लिखित अनुसार रद्द किए गए चेक की स्कैन की गई प्रति या बैंक विवरण की स्कैन की गई हस्ताक्षरित प्रति जमा करनी होगी।

यदि निविदाकर्ता/बोलीदाता के एएआई बैंक खाते में निर्धारित तिथि और समय तक ईएमडी प्राप्त नहीं होती है, तो निविदाएं रद्द की जा सकती हैं।

एमएसई इकाइयों (डीआईसी/एनएसआईसी/केवीआईसी/केवीआईबी/हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय आदि के साथ पंजीकृत) के वैध दस्तावेज, ईएमडी आदि से छूट चाहने वाले निविदाकर्ताओं को जमा करने होंगे।

ईएमडी राशि के आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए बैंक खाते से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं: -

खाताधारक का नाम: **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**

बैंक का नाम: **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**

शाखा: **मीनांबक्कम**

खाता संख्या: **40533447477**

आईएफएस कोड: **एसबीआईएन0005789**

बोली दस्तावेजों को 100 डीपीआई पर स्कैन किया जा सकता है, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प भी शामिल है, जिससे स्कैन किए गए दस्तावेज का आकार कम हो जाता है। ऊपर निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर आवेदन अपलोड करने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

नोट: यदि बोलीदाता को कार्य के बोली दस्तावेज से संबंधित कोई प्रश्न है, तो वे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जीईएम पोर्टल पर 'स्पष्टीकरण मांगें' का उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में संचार के किसी अन्य माध्यम पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. निविदाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार जीईएम पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित 2 लिफाफे जमा किए जाएंगे:

### महत्वपूर्ण डेटा शीट

प्रकाशन तिथि	जीईएम पोर्टल के अनुसार
बोली दस्तावेज डाउनलोड करें / बिक्री शुरू होने की तिथि	जीईएम पोर्टल के अनुसार
स्पष्टीकरण आरंभ तिथि	जीईएम पोर्टल के अनुसार
स्पष्टीकरण समाप्ति तिथि	जीईएम पोर्टल के अनुसार
निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि	जीईएम पोर्टल के अनुसार
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	जीईएम पोर्टल के अनुसार
निविदा खोलने की तिथि (लिफाफा- I)	जीईएम पोर्टल के अनुसार
निविदा खोलने की तिथि (लिफाफा- II)	जीईएम पोर्टल में इसकी सूचना दी जाएगी।

**लिफाफा-I (तकनीकी बोली और पूर्व-योग्यता): बोली में निम्नलिखित शामिल हैं:**

**A. तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल हैं:**

- बोलीदाता के लेटर हेड पर निविदा स्वीकृति पत्र की स्कैन की गई प्रति (अनुलग्नक-I)।
- स्थायी खाता संख्या (PAN) और GST पंजीकरण संख्या, GST वचनपत्र की स्कैन की गई प्रति (अनुलग्नक-II)।
- बोलीदाता के लेटर हेड पर ब्लैकलिस्टिंग/प्रतिबंध के संबंध में वचनपत्र की स्कैन की गई प्रति (अनुलग्नक-III)।

- iv) यदि लागू हो, तो वैध NSIC/MSME पंजीकरण और NSIC से योग्यता प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- v) यदि लागू हो, तो केवल MSME इकाइयों के लिए घोषणा के लिए शपथ पत्र की स्कैन की गई प्रति (अनुलग्नक-IV)।
- vi) न्यूनतम मजदूरी के संबंध में शपथ पत्र की स्कैन की गई प्रति (अनुलग्नक-V)।
- vii) EPF पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति।
- viii) फॉर्म ए की स्कैन की गई प्रति - पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों का विवरण, ग्राहक द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र सहित। (अनुलग्नक-VII)
- ix) फॉर्म बी की स्कैन की गई प्रति - वित्तीय जानकारी। (अनुलग्नक-VIII)
- x) फॉर्म सी की स्कैन की गई प्रति - नेट वर्थ। (अनुलग्नक-IX)
- xi) ईएमडी भुगतान का प्रमाण (यदि लागू हो)।
- xii) प्रोप्राइटरी फर्म के अलावा अन्य बोलीदाताओं को प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन की गई प्रति, कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें सीआईएन/एलएलपीआईएन/कंपनी के निदेशकों के नाम दर्शाए गए हों, और पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने के अधिकार से संबंधित बोर्ड संकल्प की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- प्रोप्राइटरी फर्म को प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन की गई प्रति केवल तभी प्रस्तुत करनी होगी जब निविदा प्रक्रिया प्रोप्राइटर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा रही हो।
- xiii) विधिवत भरा हुआ पीक्यू प्रोफार्मा। (अनुलग्नक-A)

**ख. ठेकेदारों/निविदाकर्ताओं के लिए पात्रता संबंधी शर्तें, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**

- i) निविदा आमंत्रित किए जाने वाले महीने से पिछले महीने के अंतिम दिन तक के सात वर्षों के दौरान, "समान प्रकृति के कार्यों, जैसे कि जनशक्ति आपूर्ति/तकनीकी, सचिवालयी सेवाएं प्रदान करना आदि" के एक ही अनुबंध में, 9.23 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) के तीन कार्य, या 11.54 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) के दो कार्य, या 18.47 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का एक कार्य सफलतापूर्वक या लगभग पूरा किया होना चाहिए। पिछले सात वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए समान कार्यों का विवरण दिए गए प्रारूप - प्रपत्र क में, ग्राहक द्वारा जारी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**नोट:**

1. जीएसटी पूर्व युग में पूर्ण किए गए कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्रों में, पूर्णता राशि को 1.12 से विभाजित किया जाएगा (जीएसटी पूर्व करों को छोड़कर) ताकि इसे जीएसटी पश्चात युग के अनुभव प्रमाण पत्रों के बराबर किया जा सके, लेकिन इसमें जीएसटी शामिल होगा।

2. समान कार्यों के लिए वार्षिक दर अनुबंध हेतु आमंत्रित निविदाओं में, एक वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली एजेंसी के कार्य मूल्य की गणना पूर्ण एक वर्ष के आधार पर आनुपातिक रूप से की जाएगी। हालांकि, समान कार्यों या एक वर्ष से अधिक के वार्षिक दर अनुबंध में एक वर्ष का कार्य पूर्ण कर चुकी एजेंसी के कार्य मूल्य की गणना भी आनुपातिक रूप से की जा सकती है।

3. लगातार ठेके/उप-ठेके के आधार पर कार्य निष्पादन से प्राप्त अनुभव निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य है:

क) कार्य वास्तव में दूसरी एजेंसी (उप-ठेकेदार) द्वारा स्वामी की सहमति से त्रिपक्षीय समझौते/लिखित अनुमोदन के रूप में निष्पादित किया जाना चाहिए। यह वैध समझौते और अनुभव प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

ख) दूसरी एजेंसी द्वारा प्राप्त भुगतान टीडीएस प्रमाणपत्रों में दर्शाए जाने चाहिए।

पर्याप्त पूर्णता अनुबंध के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों के 80 (अस्सी) प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य के आधार पर मानी जाएगी। पर्याप्त पूर्णता को प्रतिशत पूर्णता के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे कार्यात्मक आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। **परियोजना/कार्य/संपत्ति की 'पर्याप्त पूर्णता' का प्रमाणपत्र दो भागों में होना चाहिए। भाग 1 में 'किए गए कार्य का वित्तीय मूल्य' और भाग II में 'परियोजना/कार्य/संपत्ति की कार्यात्मक पूर्णता का प्रमाणपत्र' होना चाहिए।**

“निष्पादित कार्यों का मूल्य, कार्य के वास्तविक मूल्य में प्रति वर्ष 7% की साधारण दर से वृद्धि करके वर्तमान लागत स्तर पर लाया जाएगा, जिसकी गणना कार्य पूर्ण होने की तिथि से बोली खोलने की तिथि (कवर-1/ तकनीकी बोली) तक की जाएगी।“

ग्राहक के अनुभव प्रमाण पत्र में किए गए कार्य की प्रकृति, कार्य का मूल्य, प्रारंभ तिथि, समझौते के अनुसार पूर्ण होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि और कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने का विवरण होना चाहिए। गैर-सरकारी/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिखाने वाले निविदाकर्ताओं को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र की प्रति, पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें कार्य का नाम, कार्य के लिए प्राप्त कुल भुगतान और कार्य के लिए टीडीएस राशि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।

ii) पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान समान निर्माण कार्यों में **औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार 8.17 लाख** रुपये होना चाहिए। वित्तीय जानकारी दिए गए प्रारूप - फॉर्म बी में प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैलेंस शीट में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार घाटा दिखाने वाले निविदाकर्ताओं को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii) निविदाकर्ता को प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी न्यूनतम **3.46 लाख रुपये की कुल संपत्ति का प्रमाण पत्र** होना चाहिए। प्रमाण पत्र दिए गए प्रारूप- फॉर्म सी में जमा किया जाना चाहिए।

**लिफाफा-II: GeM पोर्टल के माध्यम से वित्तीय ई-बोली।**

1. बोली की कुल राशि GeM पोर्टल पर भरनी होगी।

2. वित्तीय बोली में, बोलीदाता को सभी BOQ मदों के कार्य को पूरा करने के लिए कुल राशि उद्धृत करनी होगी।

3. सभी बोलीदाताओं को कुल उद्धृत राशि के लिए प्रत्येक मद की ब्रेकअप दर पीडीएफ फाइल (आइटम रेट SOQ) के रूप में डाउनलोड के लिए उपलब्ध प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी और GeM पोर्टल पर उपलब्ध एक्सेल फाइल में मूल्य ब्रेकअप अपलोड करना होगा। बोलीदाता को बोली प्रबंधक को प्रस्तुत करने से पहले अंतिम राशि की लिखित और लिखित रूप में जांच और पुष्टि करनी होगी, जो GeM पोर्टल वित्तीय बोली पर उद्धृत कुल राशि से अनिवार्य रूप से मेल खानी चाहिए। अनुसूची-SOQ में दिए गए अनुसार GeM पोर्टल पर यह ब्रेकअप प्रदान करना प्रत्येक बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी।

4. यदि सबसे कम बोलीदाता ने ऐसा ब्रेकअप प्रस्तुत नहीं किया है, तो एजेंसी को उद्धृत/निविदा दर से मेल खाते हुए ब्रेकअप विवरण प्रस्तुत करना होगा।

5. यदि GEM पोर्टल पर मूल्य विवरण और उद्धृत राशि में कोई विसंगति पाई जाती है, तो GEM पोर्टल पर उद्धृत राशि को अंतिम राशि माना जाएगा और एजेंसी को GEM पोर्टल पर संशोधित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

6. वस्तुओं की मूल इकाई दर हुबली में FOR आधार पर होगी और इसमें किसी भी कानून के तहत लगाए गए सभी अन्य शुल्क और GST शामिल होंगे।

7. किसी भी PQQ/तकनीकी बोली में कहीं भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

8. स्वीकृति की तिथि पर भारत सरकार के प्रचलित निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खरीद/सेवा वरीयता दी जाएगी। एक बार अपलोड की गई बोली अंतिम होगी और उसमें कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। एक बोलीदाता केवल एक ही बोली जमा कर सकता है।

दर से प्राप्त बोलियां: GEM पोर्टल पर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में निर्धारित समय के बाद बोलियां अपलोड करने की अनुमति नहीं होगी।

बोली में सुधार/संशोधन और वापसी: बोलीदाता अंतिम तिथि से पहले GeM निविदा पोर्टल के प्रावधानों के माध्यम से अपनी हस्ताक्षरित बोली में सुधार या संशोधन कर सकता है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी बोली में संशोधन नहीं किया जाएगा।

**ईएमडी की वापसी:** पात्रता/तकनीकी मानदंडों को पूरा न करने वाले बोलीदाताओं को तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद ईएमडी की वापसी की जाएगी। जिन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली गई हैं, उन सभी को वित्तीय मूल्यांकन के बाद ईएमडी वापस कर दी जाएगी, सिवाय एल1 के, जिसकी ईएमडी बोली की सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद वापस की जाएगी।

### 3. निविदा जमा करना:

निविदाकर्ता अपना आवेदन केवल GeM पोर्टल: <https://gem.gov.in> पर ही जमा करें। निविदाकर्ता/ठेकेदार को निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन निविदा जमा करने की सलाह दी जाती है। निविदाकर्ताओं को पैरा 2 के अनुसार स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे। निविदा दस्तावेजों को 100 डीपीआई पर स्कैन किया जा सकता है, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प भी शामिल है, जिससे स्कैन किए गए दस्तावेज का आकार कम हो जाता है।

उपरोक्त निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर आवेदन अपलोड करने पर विचार नहीं किया जाएगा।  
**आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।**

4. एक निविदाकर्ता या व्यावसायिक संबंध रखने वाले निविदाकर्ताओं द्वारा एक से अधिक निविदाएं जमा नहीं की जाएंगी। किसी भी परिस्थिति में पिता और उनके पुत्रों या अन्य करीबी रिश्तेदारों, जिनका आपस में व्यावसायिक संबंध है (अर्थात् जब एक या अधिक साझेदार/निदेशक समान हों), को एक ही अनुबंध के लिए अलग-अलग प्रतियोगी के रूप में निविदा जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस शर्त का उल्लंघन करने पर दोनों पक्षों की निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।

5. GeM पोर्टल वेबसाइट <https://gem.gov.in> से निविदा डाउनलोड करने वाले निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र, जिसमें डाउनलोड किया गया मूल्य बोली टेम्पलेट भी शामिल है, में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेंगे। यदि इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा पूर्णतः अस्वीकृत कर दी जाएगी और EMD जब्त कर ली जाएगी तथा निविदाकर्ता पर AAI के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

**6. निविदा खोलने की प्रक्रिया इस प्रकार है:**

**लिफाफा-I (तकनीकी बोली और पूर्व-योग्यता):**

लिफाफा-I जिसमें पैरा 2 (A) और (B) के अनुसार दस्तावेज (निविदाकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए) शामिल हैं, महत्वपूर्ण डेटा शीट में उल्लिखित तिथि और समय पर खोला जाएगा।

यदि लिफाफा-I में अपलोड किए गए दस्तावेजों में किसी कमी के संबंध में निविदाकर्ता से स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता पड़ने पर उसे GeM पोर्टल के माध्यम से इसे प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। निविदाकर्ता को एएआई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक स्पष्टीकरण/दस्तावेज अपलोड करने होंगे; ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि निविदाकर्ता के पास जमा करने के लिए कुछ भी नहीं है और निविदा का मूल्यांकन तदनुसार किया जाएगा।

**निविदा-II (वित्तीय निविदा):**

जिन निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाएं पीक्यूक्यू/तकनीकी मानदंडों और पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करती पाई जाएंगी, उन्हें जीईएम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा। वित्तीय निविदा खोलने की तिथि और समय जीईएम पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

निविदा की स्वीकृति और खोलने की तिथि को एएआई हबली हवाई अड्डे के पूर्ण विवेकाधिकार पर जीईएम पोर्टल पर बढ़ाया जा सकता है।

7. एएआई बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एएआई बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

8. एएआई उन कार्य एजेंसियों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिनका चालू परियोजना(ओं) में प्रदर्शन निम्न स्तर का और आमतौर पर खराब रहा हो और जिन्हें एएआई के किसी भी विभाग द्वारा निषेधाज्ञा/अस्थायी या स्थायी प्रतिबंध/ब्लैकलिस्टिंग जारी की गई हो। एएआई निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का किसी भी चरण में (कार्य आवंटित करने से पहले या बाद में) सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी भी चरण में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी/दस्तावेज गलत/झूठा पाया जाता है या उसमें कोई ऐसी विसंगति पाई जाती है जो निविदाकर्ता को अयोग्य ठहराती है, तो एएआई निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:

क) निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।

ख) निविदाकर्ता को एएआई में निविदा देने से दो वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसमें अनुबंध की समाप्ति और अन्य उपयुक्त संविदात्मक/कानूनी कार्रवाई शामिल है।

9. ईएमडी छूट: - ईएमडी छूट चाहने वाले निविदाकर्ताओं को बोली के साथ संबंधित श्रेणी के लिए वैध सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

**सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई)** जिनके पास वैध उद्यम पंजीकरण है और जो प्रस्तावित उत्पाद या सेवा (प्राथमिक उत्पाद/सेवा - कुल मूल्यवार मूल्यांकन के साथ समूह बोली के मामले में) के निर्माता हैं, और बोली जमा करने के समय इसकी स्पष्ट पुष्टि करते हैं, वे ईएमडी छूट का दावा कर सकते हैं, और जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन एमएसएमई मंत्रालय की उद्यम पंजीकरण वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन और बोली प्रक्रिया के दौरान अपलोड किए गए तथा क्रेता द्वारा सत्यापित सहायक दस्तावेजों के माध्यम से किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार के क्रेता बोली के एटीसी में इसका उल्लेख करके केवल बोली आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण के राज्य के एमएसई को छूट दे सकते हैं। यदि ऐसा कोई एटीसी शामिल नहीं है, तो सभी राज्यों के पात्र एमएसई को छूट दी जाएगी।

10. कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम कंपनियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. स्वीकृति की तिथि पर भारत सरकार के प्रचलित निर्देशानुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खरीद/सेवा वरीयता दी जाएगी।

12. संबंधित क्षेत्र में एनएसआईसी/एमएसएमई/स्टार्टअप के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार रियायतें दी जाएंगी (यदि लागू हो)। डीआईसी/एनएसआईसी/केवीआईसी/केवीआईबी/हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय आदि के साथ पंजीकृत भारतीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) इकाइयों को एमएसई आदेश 2012 के प्रावधानों के अनुसार, अद्यतन संशोधनों के साथ, आपूर्ति/सेवाओं की निविदाओं के लिए रियायतें दी जाएंगी और निर्माण कार्य पर लागू नहीं होंगी।

13. निविदाकर्ताओं को विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) द्वारा जनित दस्तावेज़ जैसे वित्तीय जानकारी (हानि/लाभ सहित कारोबार), नेट वर्थ प्रमाणपत्र आदि एनआईटी शर्तों के अनुसार विधिवत प्रमाणित और यूडीआईएन युक्त प्रस्तुत करने होंगे। बिना यूडीआईएन के बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

14. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी लोक क्रय (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017, दिनांक 16.09.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) के अनुसार लागू होगा।

15. यदि "खरीदार द्वारा जोड़ी गई बोली विशिष्ट एटीसी" और "जीईएम" शर्तों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो खरीदार द्वारा जोड़ी गई बोली विशिष्ट एटीसी मान्य होगी।

डा. अश्विनी 04/04/26 .

उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-सिविल) II,

अध्यक्ष के लिए तथा उनकी ओर से,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

हिन्दी में किए गए अनुवाद पर यदि कोई विसंगति की स्थिति में , अंग्रेजी रूपांतरण को प्रामाणिक माना जाए | In case of any discrepancy arises in Hindi Translation, the English version will be authentic.

**NOTICE INVITING e-TENDER (2 BOT - 2 Envelope Open Tender)**

1. Item rate e-tenders are invited through GeM portal by Dy General Manager (Engg-Civil), AAI, Hubballi Airport, Hubballi-580030 (Bid Manager) on behalf of Chairman, AAI from the eligible contractors for the work of **“Construction of New Domestic Terminal Building and miscellaneous work at Hubballi Airport. SH: Providing of Manpower services to Engineering Office at Hubballi Airport for the year 2026-27.”** at an Estimated cost of **Rs. 2723552/- (Including GST) (Rupees Twenty- Seven Lakh Twenty-Three Thousand Five Hundred and Fifty-Two)** with **period of Completion 12 (Twelve) Months.**

The tendering process is online at GeM portal URL address <https://gem.gov.in> Aspiring bidders may download and go through the tender document by login the GeM Portal. Any amendment or corrigendum to the tender document will be posted on GeM Portal only. As the tendering process is online on GeM portal, it is bidders' responsibility to check for any amendment / corrigendum on GeM Portal before submitting the bid online on GeM portal. Also, the bidders are advised to get themselves acquainted with the tendering process on GeM portal which requires registration at GeM portal, obtain 'User ID' & 'Password' and go through the 'Bid for Services – Service Provider side' available in the home page after login to the GeM portal <http://gem.gov.in>.

Bidders shall submit their bids as per scheduled date and time through GeM- procurement portal at <http://gem.gov.in> only.

GeM portal -procurement system shall not allow bidders to submit their tender, after the scheduled date and time. Bidders shall submit tender before the schedule deadline specified in GeM bid document or the extended deadline notified by issue of corrigendum, as the case may be.

**EMD:** - Earnest Money Deposit amounting to **Rs. 69,243/-** will be required to be paid online **Rupees Sixty-Nine Thousand Two Hundred and Forty-Three** as per the given bank details before the scheduled date and time of bid submission (as Per GeM) through RTGS/NEFT in favour of Airports Authority of India, Hubballi Airport and the proof of the same has to be submitted/uploaded as mentioned in NIT Clause. No Demand Drafts / Bank Guarantee/ FDR would be accepted in this regard. EMD deposit made by the bidders, would be refunded directly in their respective bank accounts, of all except the successful bidder to whom the contract is awarded.

Scanned Copy of cancelled cheque or scanned signed copy of Bank Details needs to be submitted as mentioned in **Annexure-VI.**

The tenderer/Bidder, whose EMD are not found to receive in AAI Bank Account by the date & time mentioned in critical data sheet, failing which tenders will be liable to be rejected.

Or

Valid documents of MSEs units (registered with DIC/NSIC/KVIC/KVIB/ Directorate of Handicraft and handloom etc.) Tenderers seeking exemption of EMD etc shall submit.

The particulars pertaining to Bank account for RTGS/ NEFT of EMD amount are as follows: -

Account Holder Name: **Airports Authority of India**

Name of Bank: **State Bank of India**

Branch: **MEENAMBAKKAM**

Account Number: **40533447477**

IFS Code: **SBIN0005789**

Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document. Uploading of application in location other than specified above shall not be considered. Hard copy of application shall not be entertained.

Note: If the bidder has any query related to the Bid Document of the work, they should use 'Seek Clarification' on GeM portal to seek clarifications. No other means of communication in this regard shall be entertained.

2. Following **2 Envelopes** shall be submitted through online at GeM-portal by the tenderer as per the following schedule:

### **CRITICAL DATA SHEET**

Publishing Date	As per GEM portal
Bid Document Download / Sale Start Date	As per GEM portal
Clarification Start Date	As per GEM portal
Clarification End Date	As per GEM portal
Bid Submission Start Date	As per GEM portal
Bid Submission End Date	As per GEM portal
Bid Opening Date (Envelope- I)	As per GEM portal
Bid Opening Date (Envelope- II)	Will be informed in GEMPortal

**Envelope-I (Technical Bid and Pre-qualification):** Bid containing following:

**A. Technical Bid containing the following:**

- i) Scanned copy of Tender Acceptance Letter on Bidder's Letter Head (**Annexure-I**).
- ii) Scanned copy of Permanent Account Number (PAN) and GST Registration Number, GST Undertaking (**Annexure-II**).
- iii) Scanned copy of 'Undertaking' regarding Blacklisting/ Debarment on Bidder's Letter Head. (**Annexure-III**)

- iv) Scanned copy of Valid NSIC/MSME registration and Competency certificate from NSIC if applicable.
- v) Scanned copy of "Affidavit" for Declaration for MSME Units only if applicable (**Annexure-IV**).
- vi) Scanned copy of "Affidavit" regarding minimum wages. (**Annexure-V**).
- vii) Scanned copy of EPF registration.
- viii) Scanned copy of **Form A** - details of similar works completed during last seven supported with completion certificate issued by client. (**Annexure-VII**)
- ix) Scanned copy of **Form B** - Financial Information. (**Annexure-VIII**)
- x) Scanned copy of **Form C** - Net Worth. (**Annexure-IX**)
- xi) Proof of Payment of EMD (if applicable).
- xii) Bidders other than propriety firm shall submit, scanned copy of Authorization Letter/Power of Attorney along with copy of Certificate of Incorporation of the Company under Companies Act showing CIN/LLPIN/Name of Directors of the Company & Copy of Board Resolution regarding Authority to assign Power of Attorney.  
Proprietary firm shall submit scanned copy of Authorization Letter/Power of Attorney only if the tender is processed by a person other than proprietor.
- xiii) PQ Performa duly filled. (**Annexure-A**)

**B. Qualifying requirements of contractors / tenderers containing the following:**

- i) Should have successfully completed or substantially completed **three works, each of Rs. 9.23 Lakhs (Exc GST) or two works, each of Rs. 11.54 Lakhs (Exc GST) or one work of Rs. 18.46 Lakhs (Exc GST)** in single contract of "**Similar nature of Works i.e Supply of Manpower/Providing Technical, Secretarial services etc.,**" during last 07 (seven) years ending last day of month previous to the one in which tenders are invited.

The details of similar works completed during last seven years in the given format- **Form A** with supporting documents issued by client.

**Note:**

1. The Experience Certificates of works completed pre GST era, Completion amount will be divided by 1.12 (to exclude pre GST taxes) to make it at par with experience certificates of post GST era but Including GST.

2. The Tenders invited for Annual Rate contracts for Similar Works, agency having experience of more than one year shall be counted for the value of work for a completed one year on pro-rata basis. However, the agency who has completed one year of work in running Similar Works or Annual Rate contract of more than one year, may be counted for the value of work for a completed one year on pro-rata basis.
3. Experience gained by executing work on back-to-back contract/ Sub-contract basis is acceptable in the following conditions:
  - a) Work should be actually executed by the second agency (sub-contractor) with due concurrence of the owner as tripartite agreement/ written approval. It should be backed by valid agreement and experience certificate.
  - b) Payments received by second agency should be reflected in TDS certificates.

Substantial completion shall be based on 80(eighty) percent of awarded cost or more value wise works completed under the contract. Substantial completion should not be defined in terms of percentage completion, rather it should be based on functional consideration. **Certificate for 'substantial completion' of project/work/asset should contain two parts. Part I shall contain 'financial value of work done' and Part II shall contain 'Certificate of functional completion of project/work/asset'.**

"The value of executed works shall be brought to current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate of 7% per annum, calculated from the date of completion to date of bid opening (Cover-I/ Technical bid).

Client certificate for experience should show the nature of work done, the value of work, date of start, date of completion as per agreement, actual date of completion and satisfactory completion of work. **Tenderers showing work experience certificate from non-government/non-PSU organizations should submit copy of tax deduction at sources (TDS) certificate(s) along with a certificate issued by registered Chartered Accountant, clearly specifying the name of work, total payment received against the work and TDS amount for the work.**

- ii) Should have Average Annual Financial Turnover of **Rs. 8.17 Lakhs** on ~~construction~~ similar works during last three years ending 31<sup>st</sup> March of the previous financial year. The Financial Information shall be submitted in the given **format -Form B**. Tenderers showing continuous losses during the last three years in the balance sheet shall be summarily rejected.
- iii) The tenderer should have a minimum net worth of **Rs. 3.46 Lakhs** issued by certified Chartered Accountants. The Certificate should be submitted in the given format-**Form C**.

#### **Envelope-II: The Financial e-Bid through GeM portal.**

1. Total amount of bid is to be filled at GeM portal.
2. In Financial Bid, the bidder has to quote the total amount for carrying out the work of all BOQ items.

3. All Bidders, shall submit break up rate of each item for total quoted amount as per format which is available for download as pdf file (**Item Rate SOQ**) and also upload the price breakup in excel file available at GeM Portal. Bidder has to check and confirm the final amount, both in letters and words before submitting it to the Bid Manager, which should mandatorily match with the total amount quoted on GeM Portal Financial Bid. Providing of this break-up on GeM Portal as given in Schedule- SOQ shall be the responsibility of each Bidder.
4. In case of lowest bidder has not submitted such breakup, the agency has to submit the same matching the breakup details to the quoted / Tendered rate.
5. In case of any mismatch in price breakup & quoted amount in GEM Portal, the amount quoted in GeM portal shall be treated as final amount and agency has to submit the revised Breakup sheet in GeM Portal.
6. The basic unit rate of the Items will be on FOR basis at Hubballi & inclusive of any all other charges levied under any statute & inclusive of GST.
7. Prices should not to be indicated anywhere in any PQQ/Technical Bid.
8. Purchase/Service preference to Central Public Sector Undertaking shall be applicable as per the directives of Govt. of India prevalent on the date of acceptance. Bid once uploaded shall be final and no amendment there to shall be permitted thereof. One bidder shall submit only one Bid.

LATE BIDS: Online Tendering on GeM portal shall not permit uploading of Bids after the schedule time of submission.

CORRECTIONS / MODIFICATIONS AND WITHDRAWAL OF BIDS: The Bidder may correct, modify his signed bid after submission prior to the deadline through provisions of GeM - tendering portal. No bid shall be modified subsequent to the deadline for submission of Bids.

**Refund Of EMD:-** The refund of EMD to bidders who fail to qualify the eligibility/technical criteria and shall be refunded after evaluation of Technical bid. For all bidders whose financial bids are opened, the EMD shall be refunded after financial evaluation except L1 whose EMD shall be refunded after completion of all formalities of the bid.

### 3. Bid Submission:

The tenderer shall submit their application only at GeM portal: <https://gem.gov.in>. Tenderer/Contractor are advised to follow the instructions provided in the tender document

for online submission of bids. Tenderers are required to upload scanned documents as per Para 2. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.

Uploading of application in location other than specified above shall not be considered. **Hard copy of application shall not be entertained.**

4. Not more than one tender shall be submitted by one tenderer or tenderers having business relationship. Under no circumstance will father and his son(s) or other close relations who have business relationship with one another (i.e. when one or more partner(s)/director(s) are common) be allowed to tender for the same contract as separate competitors. A breach of this condition will render the tenders of both parties liable to rejection.
5. Tenderer who has downloaded the tender from GeM Portal website <https://gem.gov.in> shall not tamper/modify the tender form including downloaded price bid template in any manner. In case if the same is found to be tampered/modified in any manner, tender will be completely rejected and EMD would be forfeited and tenderer is liable to be banned from doing business with AAI.
6. **Bids Opening Process is as below:**

**Envelope-I (Technical bid and Pre-qualification):**

Envelope-I containing documents as per Para 2 (A) and (B) (uploaded by the tenderers) shall be opened on date & time mentioned in CRITICAL DATA SHEET.

If any clarification is needed from the tenderer about the deficiency in his uploaded documents in Envelope - I, he will be asked to provide it through GeM portal, if required. The tenderer shall upload the requisite clarification/documents within time specified by AAI, failing which it shall be presumed that bidder does not have anything to submit and bid shall be evaluated accordingly.

The intimation regarding acceptance/rejection of their bids will be intimated to the tenderers through GeM portal.

**Envelope-II (Financial Bid):**

Financial bid of the tenderers found to be meeting the PQQ/technical criteria and qualifying requirements shall be opened electronically at GeM Portal. The date and time for opening of financial bid shall be intimated through GeM Portal.


Date of acceptance and opening of tender can be extended at sole discretion of AAI Hubballi Airport, on GeM Portal.

7. AAI reserves the right to accept or reject any or all applications without assigning any reasons. AAI also reserves the right to call off tender process at any stage without assigning any reason.
8. AAI reserves the right to disallow the working agencies whose performance at ongoing project (s) is below par and usually poor and has been issued letter of restrain/Temporary or Permanent debarment/black listing by any department of AAI. **AAI reserves the right to verify the credential submitted by the tenderer at any stage (before or after the award the work). If at any stage, any information /documents submitted by the applicant is found to be incorrect/false or have some discrepancy which disqualifies the tenderer then AAI shall take the following action:**
  - a) **Forfeit the entire amount of EMD submitted by the tenderer.**
  - b) **The tenderer shall be liable for debarment for a period upto two years from tendering in AAI, including termination of the contract apart from any other appropriate contractual/legal action:**
9. **EMD Exemption: - The bidders seeking EMD exemption must submit the valid supporting document for the relevant category with the Bid.**

**Micro and Small Enterprises (MSEs)** who are holding valid Udyam Registration and are manufacturer of the offered product or service (Primary Product/Service – in case of bunch bid with total value wise evaluation) and give specific confirmation to this effect at the time of bid submission and claim EMD exemption and whose credentials are validated online through Udyam Registration website of Ministry of MSME and also through supporting document uploaded during bidding process and validated by the buyer. State Government buyers may, however, choose to exempt only MSEs from the State of Bid Inviting Authority by specifying the same in ATC of the Bid. In case no such ATC is included, eligible MSEs of all states are exempted.
10. Consortium/JV companies shall not be permitted.
11. Purchase /Service preference to Central Public Sector Undertaking shall be applicable as per the directive of Govt. of India prevalent on the date of acceptance.
12. Concessions to the bidders registered with NSIC/MSME/Startup in relevant field shall be applicable as per the directives of Govt. of India (if applicable). Concessions to Indian Micro & Small Enterprises (MSEs) units registered with DIC/NSIC/KVIC/KVIB/Directorate of Handicraft and Handloom etc. to be given as per the provisions of Public procurement

policy for MSEs order 2012 with up to date amendments, shall be applicable for tenders of supply/services and shall not be extended to construction work

13. Tenderers have to submit Unique Document Identification Number (UDIN) generated documents like Financial information (Turnover with loss/profit), Net worth Certificate etc. as per NIT conditions duly certified by CA and having UDIN. The documents submitted by bidders without UDIN shall not be entertained.
14. Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India, issued Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 vide OM No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 16.09.2020 is applicable.
15. In-case of any discrepancy between "Buyer Added Bid Specific ATC" and "GeM" conditions; Buyer Added Bid Specific ATC will prevail.



04/04/26

**उप महाप्रबंधक (इं.-सिविल)/ Dy General Manager (Engg-Civil)II,**  
**अध्यक्ष के लिए तथा उनकी ओर से,/For and on behalf of the Chairman,**  
**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India.**